कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून पिन कोड़-248195

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-12/2017-18/

दिनांक : /06/2018

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,

ग्राम पंचायत- कण्डारा,

विकास खण्ड- मन्दाकिनी (अगस्तमुनी),

जिला- रुद्रप्रयाग

विषय : ग्राम पंचायत कण्डारा, विकास खंड- मन्दाकिनी **(अगस्तमुनी) का वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग-2(ब) में 02 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report*) (*ATIR*) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 2(ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-12/2017-18/ **दिनांक: /06/2018** प्रतिलिपि

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड़, आई0टी0पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून
2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005
3- जिला पंचायतराज अधिकारी **रुद्रप्रयाग**
4- खण्ड विकास अधिकारी **मन्दाकिनी (अगस्तमुनी), जनपद- रुद्रप्रयाग**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत **कण्डारा,** (क्षेत्र पंचायत- मन्दाकिनी (**अगस्तमुनी),** जनपद- **रुद्रप्रयाग)** के लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत, **कण्डारा,** (क्षेत्र पंचायत- मन्दाकिनी (**अगस्तमुनी),** जनपद - **रुद्रप्रयाग** के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखों की संप्रेक्षा श्री राजवेश भट्ट, ले.प. द्वारा 09.05.2018 से 10.05.2018 से तक की गयी।

2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का यह **प्रथम निरीक्षण** था।

(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम	**अवधि**
(अ) **श्री महावीर सिहं नेगी**	**जूलाई 2014**

II उप-प्रधान

नाम	**जूलाई 2014**
(अ) श्री सच्चिदानन्द	

<u>भाग-2</u>

अनुभाग 'अ'

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएंः-

-शून्य-

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाये जाने के कारण उपभोग प्रमाण पत्र की जांच नही हो सकी।

भाग-2

अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

	धनराशि (` में)
01.04.2014 को प्रारम्भिक शेष	` 579143 /-
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 3837643/-
कुल प्राप्तियां	` 4416786/-
घटायेः- वर्ष के दौरान व्यय	` 2972699/-
31.03.2017 को अंतिम शेष	` 1444087/-

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है।

------------शून्य------------

3. समाधान विवरण		
		(धनराशि ` में)
रोकड़ बही के अनुसार शेष	:	` 1444087/-
जोड़े	:	
(i)	:	0.00
घटायें	:	
(i)	:	0.00
बैंक पासबुकों/विवरण के अनुसार शेष	:	` 1444087/-

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

-----------------शून्य--------------

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि ` 538966/- उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेखः

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-.रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

1- अग्रिम पंजिका

2- कार्य पंजिका

3- बिल पंजिका

भाग-एक

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय ग्राम पंचायत **कण्डारा,** (क्षेत्र पंचायत- मन्दाकिनी (**अगस्तमुनी),** जनपद - **रुद्रप्रयाग** की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक के लेखा -अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 10.05.2018 से 11.05.2018 तक संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः **प्रथम निरीक्षण**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 प्रस्तर भाग-4 (अ) प्रस्तर भाग-4 (ब)

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-		---

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

भाग -3 (ग्राम पंचायत- कण्डारा) 2015-16

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	347275	288000	635275	313385	321890
2	राज्य वित्त	231868	199000	430868	412760	18108
3	ब्याज प्राप्ति	0	22696	22696	0	22696
4	स्वजल	0	82439	82439	82339	100
5	पंचायत कर	0	955	955	200	755
6	अन्य मद	0	100000	100000	0	100000
	कुल योग	**579143**	**693090**	**1272233**	**808684**	**463549**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- कण्डारा) 2015-16

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	321890	982000	1303890	332681	971209
2	राज्य वित्त	18108	194000	212108	92800	119308
3	ब्याज प्राप्ति	22696	40924	63620	0	63620
4	स्वजल	100	378000	378100	156000	222100
5	पंचायत कर	755	955	1710	0	1710
6	अन्य मद	100000	481250	581250	387184	194066
	कुल योग	**463549**	**2077129**	**2540678**	**968665**	**1572013**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- कण्डारा) 2015-16

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	**केंद्रीय वित्त**	971209	630000	1601209	469889	1131320
2	**राज्य वित्त**	119308	189000	308308	145581	162727
3	**ब्याज प्राप्ति**	63620	20424	84044	0	84044
4	**स्वजल**	222100	78000	300100	240000	60100
5	**पंचायत कर**	1710	0	1710	0	1710
6	**अन्य मद**	194066	150000	344066	339880	4186
	कुल योग	**1572013**	**1067424**	**2639437**	**1195350**	**1444087**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है ।

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है ।

(iii) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है ।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर 1- इकाई द्वारा विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 84044/- राजकोष में जमा न कर इकाई के खातो में लंबित पड़ी रहना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 347/वि॰ आ॰ निदे॰ (तृ॰ रा॰ वि॰ आ॰)/ 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवम उस पर अर्जित ब्याज का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राज़कोष में जमा किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया की इकाई को विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रूप में ` **84044/-** की धनराशि प्राप्त हुई थी जोकि इकाई के खाते में लंबित पढ़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ` **84044/-** धनराशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा ।

अतः ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` **84044/-** इकाई के खाते में लंबित पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-02- भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या 619/XII /2005/82(06) 2004 दिनांक 26-7-2005 के द्वारा इन प्रारूपों को औपचारिक रूप से दिनांक 01-04-2005 से लागू किया गया था ।

ग्राम **कण्डारा,** के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई के अभिलेखों में लेखांकन भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नही किया जा रहा है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखाकंन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों में कार्य प्रशिक्षण के अभाव में अभिलेखों का लेखाकंन किये जाने में कठिनाई हो रही है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 01-04-2005,को लागू किये जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन तिथि अंगीकार तक नही किया गया जिसके कारण अभिलेखों का रख रखाव अपूर्ण था।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-पाँच

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कण्डारा, विकास खण्ड- - मन्दाकिनी** (**अगस्तमुनी**)**,, जिला- रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून-248195** को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी /स्थानीय निकाय